मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 27, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ-ए-3-19-2009-1-पांच (27), दिनांक 24 सितम्बर, 2009; तथा

(ख) क्रमांक एफ-ए-3-19-2009-1-पांच (28), दिनांक 27 अक्टूबर, 2009

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अनूप मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 45 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ-10-64-2005-पचपन-चिशि-1, दिनांक 26 फरवरी, 2009; तथा

(ख) क्रमांक एफ-10-64-2005-1(पचपन), दिनांक 12 नवम्बर, 2009

पटल पर रखेंगे.

(3) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 तथा वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में अनियमितता होने की ओर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड एवं देश के अन्य रासायनिक ईकाइयों के जहरीले कचरे के भण्डारण से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

निर्धारित समय

4. संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "यह कि यह सदन भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परंतुक के खण्ड (घ) की व्याप्ति के अन्तर्गत आते हैं और संसद के दोनो सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित हैं.".

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 19 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 20 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 21 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

-2-

निर्धारित समय

6. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

2 घण्टे

'दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 79 तथा 80 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार तीन सौ बाईस करोड़, इकसठ लाख, पैतालीस हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए..".

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2009 (क्रमांक 23 सन् 2009) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घण्टा 30 मि.

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री भगवान सिंह, सुखदेव पांसे, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, शिवनारायण मीना तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 17 नवम्बर, 2009

***अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**